राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– बिरकाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 106 सन 2018

अनवान :–

1. श्रवण कुमार 2 रणजीत सिह पि0 राजेराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजेराम पुत्र मामंचद जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
2. चन्दों 3 हरदेई 4 चिडिया 5 बाधों 6 रूकमा 7 भगवानी पुत्रीयान राजेराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।

8 हरनाम 9 लादूराम पि0 राजेराम जाति जाट साकिन दुर्जाना साकिन नोहर

10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 11.05.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") में पेश किया गया संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा दुर्जाना के खसरा न0 95 की 14.5060हैक , 96/0.7080 ,100/05060 ,101/2.2760 , कुल 17.9960हैक भूमि खातेदारी भूमि पूर्व में वादीगण के दादा मामचंद के नाम से दर्ज थी जिनक देहान्त होने पर उसके पुत्रों पर औद हुई एवं वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरास्तन से दर्ज हुई विरास्तन से दर्ज होने के कारण वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 , 2 ता 7 जो वादीगण के पिता एवं बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत में पेश होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने लोक भावना से प्रेरित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ता 7 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 8 ता 9 के नाम बहिब दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का बराबर का हक हिस्सा जिसे राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ता 7 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्हाने अपने हकों का त्याग वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8 ,9 के पक्ष में किया जा चुका है व राजीनामा भी पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ता 7 ने अपना हक त्याग किया गया है राज्य हकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 165/157 के खसरा न0 95/14.5060हैक , खसरा न0 96/0.7080हैक , खसरा न0 100/0.5060 , खसरा न0 101/2.2760हैक कुल 17.9960हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 310–3/4 हिस्सा (3.9309) भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 ,9 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–बिरकाली

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–बिरकाली

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. श्रवण कुमार 2 रणजीत सिह पि0 राजेराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजेराम पुत्र मामंचद जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
2. चन्दों 3 हरदेई 4 चिडिया 5 बाधों 6 रूकमा 7 भगवानी पुत्रीयान राजेराम जाति जाट साकिन दुर्जाना तहसील नोहर।
8. हरनाम 9 लादूराम पि0 राजेराम जाति जाट साकिन दुर्जाना साकिन नोहर
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या सन 2018 निर्णय दिनांक–11.05.2018

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 165/157 के खसरा न0 95/14.5060हैक , खसरा न0 96/0.7080हैक , खसरा न0 100/0.5060 , खसरा न0 101/2.2760हैक कुल 17.9960हैक भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 310–3/4 हिस्सा (3.9309) भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 8 ,9 बहिब के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु 5000/– अखरे रूपये पाचं हजार का स्टाम्प इजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

SAzaidi

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–बिरकाली